

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000182010

दांडिक प्रकरण क.-417 / 10

संस्थापित दिनांक-06.10.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
अभियोजन	
विरुद्ध	
01-मिठठूलाल पुत्र परमानंद कुशवाह आयु 48 वर्ष निवासी ग्राम पिरोद तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)	
आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री मिर्जा अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 09.03.2018 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 504 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी देवीलाल ने दिनांक 25.08.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 25.08.10 दिन के 04:00 बजे पिपरोद वैरियल पर जब वह अपने घर राखी बंधवा कर जा रहा था तब आरोपी मिठठूलाल मिला और उसने उधारी के सौ रूपये मांगे, फरियादी के अनुसार उसने बोला कि चार दिन में दे देगा तो आरोपी गालियां देने लगा और पत्थर उठाकर उसे एवं उसकी पत्नी को मारा जिससे उनको चोट आई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीके विरुद्ध अपराध क्रमांक 332/10 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 323, 504 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 323, 324 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 25.08.10 को समय 16:00 बजे ग्राम पिपरोद बेरियर के पास आपने फरियादी देवीलाल को धारदार वस्तु से चोट पहुंचाकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 देवीलाल, अ.सा.2 शांतिबाई, अ.सा.3 पप्पू, अ.सा.4 डॉ अजयसिंह, अ.सा.5 अवधेश कुमार, अ.सा.6 रज्जू की

मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 देवीलाल ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह साइकिल से जा रहा था तब वैरियल पर आरोपी मिठठूलाल ने दो सौ रुपये मांगे जब उसने कहा कि बाद में दे दूंगा तब आरोपी गालिया देने लगा और पकड़ कर नीचे गिरा दिया एवं उसे पत्थर से मारा जिससे उसे चोट आई थी तथा उसकी पत्नी को भी चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी01 की रिपोर्ट लेख कराई थी तथा पुलिस ने नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया था। अ.सा.2 शांतिवाई ने बताया है कि घटना दिनांक को जब वह अपने पति के साथ लौट रही थी तो आरोपी ने उसके पति से दो सौ रुपये मांगे थे जब उसने कहा कि बाद में दे दूंगा तो आरोपी ने गाली गलोच की थी एवं पत्थर से उसके पति को मारा था जिससे उनको चोट आई थी।

09— अ.सा.4 डॉ अजयसिंह ने अपने कथन में बताया है कि उनके द्वारा आहत देवीलाल का दिनांक 25.08.10 को मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर धारदार वस्तु से चोट आना दिख रही थी जिसकी रिपोर्ट प्र0पी05 है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आहत को धारदार वस्तु से चोट आना पाया था। अ.सा.1 एवं अ.सा.2 जो कि मामले के फरियादी एवं आहत हैं के कथनों में कोई प्रमुख विरोधाभास नहीं है। उल्लेखनीय है कि अ.सा.1 एवं अ.सा.2 के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी एवं आहत को रास्ते में घटना स्थल पर दो सौ रुपये की मांगी की थी तथा उनके साथ मारपीट भी की थी जिससे उन्हें चोटें आई थी। उक्त तथ्य की संपुष्टि अ.सा.4 की साक्ष्य से हो रही है। अ.सा.4 ने स्पष्टरूप से अपने कथनों में बताया है कि उक्त घटना दिनांक को फरियादी देवीलाल को किसी धारदार वस्तु से चोट आई थी। अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिससे यह प्रकट हो सके कि आहत को आई हुई चोट स्वकारित थी।

10— अ.सा.3 पप्पु एवं अ.सा.6 रज्जू पक्षद्रोही हो गये है। दोनों साक्षीगण के अनुसार उनके सामने कोई घटना नहीं घटी। अ.सा.3 एवं अ.सा.6 के अनुसार उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा.3 एवं अ.सा.6 ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट की थी। अ.सा.5 अवधेश कुमार जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका तैयार किया गया था तथा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रकरण में झूठी विवेचना की है।

11— प्रकरण में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें यद्यपि घटना के स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गये है किंतु मात्र स्वतंत्र साक्षीगण के पक्षद्रोही हो जाने के आधार पर अभियोजन के मामले को झूठा नहीं माना जा सकता। उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर फरियादी, आहत एवं मेडिकल विशेषज्ञ की अकाट्य साक्ष्य आई है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

12— आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर

पुनश्च:-

13— आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री एम बी मिर्जा का निवेदन है कि उक्त

अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया है तथा आरोपी ने पत्थर से मारपीट कर उपहति कारित की है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14— जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा हिंसा कारित की जाती है, तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड संलग्न नहीं है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो गया है। यदि आरोपी को कारागार के दंड से दंडित किया गया तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आरोपी की मानसिक एवं आर्थिक स्थिति पर पड़ने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को कारागार के दंडादेश से दंडित करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 324 के अपराध में 1000/— रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का साधारण कारावास भोगेंगा।

15— आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

17— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)